संख्या-334/2025/001/842/25-27-सिं-9-55एसएवी/15

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्य
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2025**

विषय:- जनपद ललितपुर में लोअर रोहिणी बांध की पुनरीक्षित परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-293/177/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 10.05.2025 एवं शासनादेश संख्या-67/2023/001/213/23-27-सिं-9-55एसएवी/15, दिनांक 10.03.2023 एवं शासनादेश सं0-63/2024/001/167/24-27-सिं-9-55एसएवी/15, दिनांक 23.02.2024 एवं शासनादेश सं0-227/2024/001/775/24-27-सिं-9-55एसएवी/15, दिनांक 08.06.2024 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ललितपुर में लोअर रोहिणी बांध की पुनरीक्षित परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 21850.17 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4700-26-051-10-14-60 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 270.00 लाख में से रू0 2,69,07,000.00(रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख सात हजार मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत निर्गत की जायेगी।

(4) परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित करा लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

(7) उक्त धनराशि को कोषागार से एक मुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(8) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) विभाग द्वारा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि अध्याप्ति हेतु अनुमोदित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

(11) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अत: विभाग द्वारा भूमि अध्याप्ति पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(12) विभाग द्वारा बाट आउट आइटम्स पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(14) परियोजना में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाए।

(15) यदि यह भूमि वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

(16) प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार/ राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 किमी0 के अन्तर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति प्राप्त कर ली जाए। गैर वन भूमि/कृषि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम-1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त कर ली जाए ।

(17) इस सम्बन्ध में पर्यावरणीय नियमों का तथा मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन का पूर्ण दायित्व विभाग का होगा।

(18) उक्त धनराशि का वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,69,07,000.00 (रूपये दो करोड़ उनहत्तर लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 94 **लेखाशीर्षक** 4700260511014 सम्बद्ध कार्य **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तव प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

राजीव कुमार वत्स

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एंव दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(3) प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(4) मुख्य अभियन्ता(बजट/अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

(6) मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।

(7) अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(8) मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।

(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

जगराम यादव

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in